428

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2) ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 2014 / 56002 जयपुर, दिनांक 14 FEB 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन व्यक्तियों को कार्यस्थल पर पानी पिलाने का कार्य देने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गये है कि विशेष योग्यजनों कों उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य आवंटन किया जावें।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्य स्थल पर पानी पिलाने का कार्य विशेष योग्यजन व्यक्ति को ही आवश्यक रूप से दिया जावे। यदि विशेष योग्यजन व्यक्ति कार्यस्थल पर होने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति को पानी पिलाने के कार्य पर नियोजित किया जाता है तो संबंधित ग्राम सेवक / ग्राम रोजगार सहायक / मेट उत्तरदायी होगे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. आयुक्त, ईजीएस।
4. आयुक्त विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3 / 1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव